सर्वोच्च प्राथमिकता

पत्र संख्या- स्था-6 सामान्य(कम्प्यू) //2024-25//

3601 // राज्य कर
कार्यालय- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक::05 नवम्बर/2024

1- समस्त जोनल अपर आयुक्त (गौतम बुद्धनगर जोन- नोएडा को छोडकर)
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
2-अपर निदेशक (प्रशिक्षण संस्थान),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

प्रमुख सचिव राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, की अध्यक्षता में दिनांक 28-10-24 को की गयी विभागीय समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त में यह निर्देश दिया गया है कि अराजपत्रित कार्मिकों के विचाराधीन प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर ली जायें।

अत: आपको निर्देश दिये जाते है कि प्रत्येक सप्ताह होने वाली समीक्षा बैठक हेतु **प्रत्येक गुरुवार** तक निम्न प्रारुप में अद्यतन स्थिति की सूचना सम्भागों से संकलित करते हुए ई-मेल-**cta3comhqlu-up@nic.in** पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रारुप

क्र०स०	नाम आई०डी० व पदनाम (विभागीय कार्यवाही प्रचलित कार्मिक का)	विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की दिनांक	निलम्बित है अथवा नहीं	जांच अधिकारी का नाम व पदनाम	आरोप पत्र जारी करने का दिनांक	अपचारी कार्मिक द्वारा उत्तर प्रेषित करने का दिनांक	जांच अधिकारी द्वारा सुनवाई करने की तिथि	जांच अधिकारी द्वारा जांच आख्या प्रेषित करने की तिथि	अपचारी कार्मिक से अभ्यावेदन मांगने की तिथि	अपचारी कार्मिक द्वारा अभ्यावेदन प्रेषित करने की तिथि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

(सुनील कुमार वर्मा)
अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर आयुक्त, राज्य कर गौतम बुद्धनगर, जोन -नोएडा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2.संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

vibhagiya karyavahi letter2021